(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/Shimla Water Catchment. Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-20/99 dated 23.10.1999 to declare **Shimla Water Catchment as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 10 sq. km;

And whereas, matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare an area of 10.00 sq. km of Shimla Water Catchment as **'Shimla Water Catchment Wildlife Sanctuary'** with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, in supersession of earlier notification No. FFE-B-F(6)-20/99-II dated 23.10.1999.

The limits of Shimla Water Catchment Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i)District ii) Forest Division	Boundaries of Shimla Water Catchment Wildlife Sanctuary.
1.	**Shimla Water Catchment**	i)Shimla ii)Shimla WL Division	**NORTH:** Starts from entry point to water catchment near Dhalli and water works chowki / pumping station on Hindustan Tibet road NH 22 then along same NH downside via Chaharabra upto Kufri Bazar. **EAST:** Kufri Bazar to Cast Iron Pillor No. 35 along Kufri Chail road upto point 2632 mtr. **SOUTH:** From point 2632 mtr. then separating Nahr PF inside and Patgaihar PF outside excluding the private lands of villages in nalla flowing from Kufri and Seog upto boundary of water works catchment and Tipra village private land. **WEST:** From boundary of water works catchment and Tipra village private land via Cast Iron Pillar No. 79 village excluding private land of Tipra, Garhog and Bareha villages upto starting point of Northern boundary.

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.31⁰07'08"N & Long.77⁰14'00"E **East** Lat.31⁰05'32"N & Long.77⁰16'04"E, **South** Lat.31⁰05'11"N & Long.77⁰15'41"E **West** Lat.31⁰06'36"N & Long.77⁰13'00"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 E/4 and 53 E/8 on scale 1: 50,000.

Area of Shimla Water Catchment Wildlife Sanctuary= 10.00 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

54

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–11/2005-II,शिमला वाटर कैचमैन्ट तारीख शिमला–2, 7 जून,2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–20/99– II तारीख 23–10–1999 द्वारा 10.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **शिमला वाटर कैचमन्ट** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ–I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय कें आदेश तारीख 5–8–2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–20/99 तारीख 23–10–1999-II के अधिक्रमण में वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 10.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से **शिमला वाटर कैचमैन्ट वन्य जीव अभ्यारण्य** घोषित करती हैं ।

शिमला वाटर कैचमैन्ट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	शिमला वाटर कैचमैन्ट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	शिमला वाटर कैचमैन्ट	i) शिमला ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल,	**उत्तरः**– वाटर कैचमैन्ट के प्रवेश का स्थान नजदीक ढली और हिन्दूस्तान तिब्बत राष्ट्रीय उच्च मार्ग–22 पर पानी के पम्प हाऊस से उसी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निचले छोर के साथ–साथ वाया छराबरा से कुफरी बाजार तक । **पूर्वः**– कुफरी बाजार से ढलवा लौहे के स्तम्भ नम्बर 35 के साथ कुफरी चायल सड़क से बिन्दू 2632 मीटर तक । **दक्षिणः**– बिन्दू 2632 मीटर से नाहर संरक्षित वन को अन्दर की तरफ और पटगेहर संरक्षित वन को बाहर की तरफ विभाजित कर कुफरी सियोग से बहने वाले नाले में पड़ने वाले गांव की निजि भूमि को बाहर करते हुए वाटर कैचमैन्ट की सीमा और टिपरा गांव की निजि भूमि तक । **पश्चिमः**– वाटर कैचमैन्ट की सीमा और टिपरा गांव की निजि भूमि से ढलवा लौहे के स्तम्भ नम्बर 79 से होती हुई टिपरा, घरोग और बरेहा गांव की निजि भूमि

			को बाहर करते हुए उत्तरी सीमा के आरम्भ बिन्दू तक।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः **उत्तर** अक्षांश 31^0 07′ 08″ उत्तर और देशान्तर 77^0 14′ 00″ पूर्व । **पूर्व** अक्षांश 31^0 05′ 32″ उत्तर और देशान्तर 77^0 16′ 04″ पूर्व । **दक्षिण** अक्षांश 31^0 05′ 11″ उत्तर और देशान्तर 77^0 15′ 41″ पूर्व और **पश्चिम** अक्षांश 31^0 06′ 36″ उत्तर और देशान्तर 77^0 13′ 00″ पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ई/4 और 53ई/8 (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाता है ।

क्षेत्रफलः 10.00 वर्ग कि0मी0

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांक शिमला–2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश–शिमला–2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला–1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।